बिहार सरकार (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय)

अन0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0–3/निदे0 पी0ओ0ए0(स्था0 एवं प्र0) 01–07/2021– 45

प्रेषक,

सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना ।

पटना, दिनांक – 18/05/2026

विषयः–वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989, नियम–1995 (समय–समय पर यथा संशोधित) एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम–1955 के आलोक में अनु0 जाति के व्यक्तियों को अत्याचार से राहत अनुदान हेतु कुल ₹20,00,00,000/–(बीस करोड़ रू0) मात्र की स्वीकृति।

आदेश– स्वीकृत।

2. कुल भारित व्यय की राशि वित्तीय वर्ष 2026–27 में मांग सं0–44 के स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत अनुसूचित जाति के लिएमुख्य शीर्ष ''2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो और अल्पसंख्यकों का कल्याण–उप मुख्य शीर्ष–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–लघु शीर्ष–277–शिक्षा–उपशीर्ष–0011–छात्रवृत्तियां और वृत्तियां–विषय शीर्ष–0011.33.02–मुआवजा–विपत्र कोड सं0–44-2225012770011 के अन्तर्गत विकलनीय है।

3. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में इस स्वीकृत राशि से आवंटन जिलों को निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा विमुक्त किया जायेगा।

4. इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी होंगे, जो निकासी की गई राशि की व्यय की विवरणी प्रत्येक माह विभाग को भेजेंगे।

5. इस राशि से अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989, संशोधन अधिनियम–2015, नियम–1995 एवं (संशोधन) नियम–2016 एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम–1955 के धाराओं और नियमों के प्रावधानों के तहत अनु0 जाति के पीड़ित व्यक्तियों को अत्याचार से राहत अनुदान की राशि अनुसूची और उपबन्ध–1{नियम–12(4)} में राहत राशि के लिए मापदण्ड के साथ–साथ नियम–12(4)(46) में मुख्य रूप से हत्या, मृत्यु, सामुहिक हत्या, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, स्थायी अक्षमता और डकैती के पीडितों को पूर्वोक्त मदों के अधीन संदत्त अनुतोष की रकम के अतिरिक्त अनुतोष अत्याचार की तारीख से मृतक की प्रत्येक विधवा और/या अन्य आश्रितों को प्रति मास की दर से पेंशन भुगतान किया जाएगा साथ ही अधिनियम/नियम के तहत (i) पीड़ित/पीड़िता को वैधिक सहायता, (ii) पीड़ित/पीड़िता को यात्रा भत्ता, (iii) पीड़ित/पीड़िता को दैनिक भत्ता, (iv) पीड़ित/पीड़ता को राहत और पुनर्वास इत्यादि पर व्यय की स्वीकृति दी जा सकेगी।

6.इस राशि से विभागीय संकल्प संख्या–1825 दिनांक–19.09.2020 द्वारा अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–15(1) के तहत निर्गत योजना के आलोक में व्यय की स्वीकृति दी जा सकेगी।

7. अत्याचार राहत अनुदान की राशि वित्त विभाग, बिहार के संकल्प संख्या–3808 दिनांक–02 जून, 2017 के आलोक में आधार (वित्तीय और सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016{Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Susidies, Benefits and Services) Act, 2016}के तहत लाभुकों के बैंक खाते को आधार नम्बर से जोड़ कर RTGS/NEFTके माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

8. राशि की स्वीकृति के तुरंत बाद ही जिला पदाधिकारी द्वारा अत्याचार राहत हेतु प्रदान की गई वित्तीय सहायता और फौजदारी मुकदमा के संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना सरकार के पास विस्तारपूर्वक अपने मन्तव्य के साथ भेजेंगें। साथ ही उक्त प्रतिवेदन की एक प्रति अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

9. इन मदों के लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक–2561 दिनांक–17.4.98, वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–3748 दिनांक–05.04.2010 तथा समय समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा। इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग होंगे।

10. इस स्वीकृति के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक–31–03–2027 तक विभाग को भेजेंगे एवं महालेखाकार से लेखा का सत्यापन कराकर प्रतिवेदन भेजेगें।

11. इस राशि की स्वीकृति आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0–3/निदे0 पी0ओ0ए0 (स्था0 एवं प्र0) 01–07/2021–के पृ0– 106 /टि0 पर प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(signature) 18.05.26

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–3 / निदे0 पी0ओ0ए0 (स्था0 एवं प्र0) 01–07 / 2021– 45 पटना, दिनांक 18/05/2026

प्रतिलिपि : वित्त विभाग, बजट शाखा / अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग / अपर पुलिस महानिदेशक (क0व0) अपराध अनुसंधान विभाग बिहार / संबंधित जिला पदाधिकारी / संबंधित उप विकास आयुक्त / निदेशक, अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी / आई0 टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / सांख्यिकी कोषांग, अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक–3 / निदे0 पी0ओ0ए0 (स्था0 एवं प्र0) 01–07 / 2021– 45 पटना, दिनांक 18/05/2026

प्रतिलिपिः सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव ।